भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2447

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>आरओसी के पास धोखाधड़ी के लंबित मामले</u>

2447. श्री लक्ष्मण गिलुवा :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) और क्षेत्रीय निदेशक के पास गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के पास भेजने हेतु धोखाधड़ी के अनेक मामले लम्बे समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में लंबित मामलों की जोन और क्षेत्रीय निदेशक-वार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): जी, नहीं। गंभीर कपट वाले मामले बिना किसी अनुचित देरी के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजे गए और फाइल किए गए अभियोजनों की संख्या निम्नलिखित है -

वर्ष	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजे गए मामलों की संख्या	फाइल किए गए अभियोजनों की संख्या
2013-14	83	89
2014-15	70	61
2015-16	42	44

*****